रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-13072026-274426
CG-DL-W-13072026-274426

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 22] नई दिल्ली, जून 28—जुलाई 4, 2026, शनिवार/ आषाढ 7—आषाढ 13, 1948
No. 22] NEW DELHI, JUNE 28—JULY 4, 2026, SATURDAY/ ASHADHA 7—ASHADHA 13, 1948

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 18 जून, 2026

सा.का.नि. 116.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा लेडी रीडिंग हेल्थ स्कूल, दिल्ली, भर्ती नियम, 1962 को, जहां तक उनका संबंध अवर श्रेणी लिपिक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया हो जो किए जाने से छूट गई हों , एतद्द्वारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत लेडी रीडिंग हेल्थ स्कूल, दिल्ली में अवर श्रेणी लिपिक के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:- -

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, लेडी रीडिंग हेल्थ स्कूल, दिल्ली, अवर श्रेणी लिपिक (समूह "ग") भर्ती नियम, 2026 होगा ।

(2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-**. उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता –** ऐसा कोई भी व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, विवाह किया है, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है या;

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/होगी :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.-** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, आदेश द्वारा और उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके , किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.-** इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए,उपबंध किया जाना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या.	वर्गीकरण.	वेतन मैट्रिक् स्में स्तर	चयन पद या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अवर श्रेणी लिपिक	04* (2026) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (Rs. 19900-63200).	गैर-चयन	**18 से 27 वर्ष की आयु के बीच।** (केन्द्र सरकार द्वारा समय – समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए चालीस वर्ष की आयु तक छूट दी जा सकती है।) नोट: आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तिथि कर्मचारी चयन आयोग द्वारा दिए गए विज्ञापन के अनुसार होगी ।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो,
(7)	(8)	(9)
(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं या समकक्ष कक्षा में उत्तीर्ण; और (ii) मैन्युअल टाइपराइटर पर अंग्रेज़ी में 30 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग गति; या, (iii) कंप्यूटर पर अंग्रेजी में पैंतीस शब्द प्रति मिनट या हिंदी में तीस शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग गति (पैंतीस शब्द प्रति मिनट और तीस शब्द प्रति मिनट प्रत्येक शब्द के लिए पाँच कुंजी टाइपिंग के औसत पर प्रति घंटे 10500 कुंजी टाइपिंग या 9000 कुंजी टाइपिंग प्रति घंटे के अनुरूप हैं)। **नोट 1:** अन्यथा भली प्रकार से अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों के मामले में कारणों को लेखबद्ध करते हुए, कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अर्हताओं में छूट दी जा सकेगी। **नोट 2:** अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के मामले में अनुभव संबंधी अर्हताओं में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार कारणों को लेखबद्ध करते हुए, छूट दी जा सकती है, यदि चयन के किसी भी चरण में, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इन समुदायों से अपेक्षित अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	हाँ, स्तम्भ (11) के अंतर्गत दर्शाई गई सीमा तक।	दो वर्ष. टिप्पणी: केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए कम से कम दो सप्ताह की अवधि का अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण होगा।

भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	**प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।**
(10)	(11)
(i) 85 प्रतिशत कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा; (ii) 10 प्रतिशत विभागीय अर्हक परीक्षा के आधार पर पदोन्नति द्वारा; (iii) 5 प्रतिशत वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।	पदोन्नति: (i) विभागीय अर्हक परीक्षा के आधार पर रिक्तियों में से दस प्रतिशत रिक्तियां, वेतन मैट्रिक्स (18000-56900 रुपये) के स्तर -1 में कार्यरत समूह 'ग', कर्मचारियों में से भरी जाएंगी; ये वे कर्मचारी होंगे जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो, इस ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा पूरी की हो। **नोट 1:** परीक्षा के लिए पात्रता की अधिकतम आयु सीमा, सामान्य अभ्यर्थियों के मामले में 45 वर्ष तक और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के मामले में 50 वर्ष तक है। **नोट 2:** यदि खंड (i) के अंतर्गत उपलब्ध रिक्तियों की संख्या से अधिक संख्या में ऐसे कर्मचारी परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, तो ऐसे अतिरिक्त कर्मचारियों पर बाद के वर्षों में उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए विचार किया जाएगा, ताकि पिछली परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले कर्मचारियों पर, बाद की परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले कर्मचारियों से पहले विचार किया जा सके। (ii) रिक्तियों में से 5 प्रतिशत पद, समूह 'ग', के उन कर्मचारियों में से वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर भरे जाएंगे, जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स (18000-56900 रुपये) के स्तर -1 के पदों पर तीन वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली है। **नोट:** जहाँ कनिष्ठों की पदोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, वहाँ उनके वरिष्ठ की पदोन्नति पर भी विचार किया जाएगा, बशर्ते कि उनकी आवश्यक अर्हक या पात्रता सेवा में कमी, ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से ज़्यादा या दो वर्ष (जो भी कम हो) से ज़्यादा न हो, और उन्होंने अगले स्तर में पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा-अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, ठीक वैसे ही जैसे उनके कनिष्ठों ने पहले ही ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है ,तो उसकी संरचना-	भर्ती की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.
(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार हेतु) जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं :- 1. निदेशक (नर्सिंग), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय – अध्यक्ष; 2. उप निदेशक (नर्सिंग), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय – सदस्य; 3. नर्सिंग सलाहकार, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय – सदस्य; 4. प्रधान नर्सिंग अधिकारी या प्रभारी, लेडी रीडिंग हेल्थ स्कूल, दिल्ली – सदस्य। विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने हेतु), जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:- 1. निदेशक (नर्सिंग), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय – अध्यक्ष; 2. उप निदेशक (नर्सिंग), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय – सदस्य; 3. नर्सिंग सलाहकार, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय – सदस्य; 4. प्रधान नर्सिंग अधिकारी अथवा प्रभारी, लेडी रीडिंग हेल्थ स्कूल, दिल्ली – सदस्य।	लागू नहीं।

[फा. सं. ए .11012/01/2024-एन/डीजीएचएस]

पम्पोश पोखरियाल, उप निदेशक

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 18th June, 2026

G.S.R. 116.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Lady Reading Health School, Delhi, Recruitment Rules, 1962, in so far as they relate to the post of Lower Division Clerk, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Lower Division Clerk in the Lady Reading Health School, Delhi, Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Lady Reading Health School, Delhi, Lower Division Clerk (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix. - The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. - The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. - No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other backward classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection post or non-selection post.**	**Age-limit for direct recruits.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
Lower Division Clerk.	04* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Services, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial.	Level – 2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200).	Non-selection.	Between 18 and 27 years of age. (Relaxable for the departmental candidates up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
(7)	(8)	(9)
(i) 12th class pass or equivalent from a recognised Board; and (ii) a typing speed of thirty words per minutes in English or twenty-five words per minutes in Hindi on manual typewriter; or (iii) a typing speed of thirty-five words per minutes in English or thirty words per minutes in Hindi on computer(thirty-five word per minutes and thirty word per minutes correspond to 10500 key depressions per hour or 9000 key depressions per hour on an average of five key depressions for each word). **Note 1:** The qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualifies. Note 2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Schedules Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	Yes, to the extent indicated under column (11).	Two years for direct recruits. **Note:** There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for direct recruits for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or Deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.
(10)	(11)
(i) Eighty-five per cent. by direct recruitment through Staff Selection Commission; (ii) ten per cent by promotion on the basis of departmental qualifying examination; (iii) five per cent. by promotion on the basis of Seniority-cum-fitness.	**Promotion:** (i) Ten per cent. of the vacancies shall be filled from amongst the Group 'C' staff in level-1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900) and who possess 12thclass pass from a recognised Board and have rendered three years regular service in the grade, on the basis of departmental qualifying examination.

	Note 1: The maximum age-limit for eligibility for examination is up to the age forty-five years in case of general candidates and upto fifty years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. **Note 2:** If more of such employees than the number of vacancies available under clause (i) qualifies at the examination, such excess number of employees shall be considered for filling the vacancies arising in the subsequent years so that the employees qualifying at an earlier examination are considered before those who qualify at a later examination. (ii) Five per cent. of the vacancies shall be filled on Seniority-cum fitness basis from Group 'C' employees who have completed three years regular service in the posts in level-1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900). **Note :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whoever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(12)	**(13)**
Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. Director (Nursing), Directorate General of Health Services, Ministry of Health and Family Welfare – Chairperson; 2. Deputy Director (Nursing), Directorate General of Health Services, Ministry of Health and Family Welfare – Member; 3. Nursing Advisor, Directorate General of Health Services, Ministry of Health and Family Welfare – Member; 4. Principal Nursing Officer or Incharge, Lady Reading Health School, Delhi – Member. Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. Director (Nursing), Directorate General of Health Services, Ministry of Health and Family Welfare – Chairperson; 2. Deputy Director (Nursing), Directorate General of Health Services, Ministry of Health and Family Welfare – Member; 3. Nursing Advisor, Directorate General of Health Services, Ministry	Not applicable.

of Health and Family Welfare – Member; 4. Principal Nursing Officer or Incharge, Lady Reading Health School, Delhi – Member.	

[F. No. A.11012/01/2024-N/DGHS]

PAMPOSH POKHRIYAL, Dy. Director

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

(पीएचआरडी प्रभाग)

नई दिल्ली, 24 जून, 2026

सा.का.नि. 117.— सार्वजनिक परिसर (अवैध कब्जेदार बेदखल करना) अधिनियम, 1971 (40 ऑफ 1971) की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्द्वारा नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (1) में उल्लिखित अधिकारियों को, जो विशाखापत्तनम बंदरगाह प्राधिकरण के अधिकारी हैं और भारत सरकार के राजपत्रित अधिकारी के समकक्ष हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए संपदा अधिकारी नियुक्त करती है। उक्त अधिकारी उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन संपदा अधिकारी को प्रदत्तशक्तियों का प्रयोग करेंगे और उनकर्तव्यों का पालन करेंगे जो उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीनसंपदा अधिकारी को सौंपे गए हैं,अपने अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर उक्त तालिका के स्तंभ (2) में संबंधित प्रविष्टि में निर्दिष्ट सार्वजनिक परिसरों के संबंध में।

क्रम संख्या	नियुक्त अधिकारियों का नाम एवं पदनाम संपत्ति अधिकारी	सार्वजनिक परिसरों की श्रेणियाँ	कार्यकाल
1	श्रीमती डी. पुष्पा मणि, उप-संपत्ति प्रबंधक, (सी.ई. विभाग) वीपीए	विशाखापत्तनम बंदरगाह प्राधिकरण के स्वामित्व, नियंत्रण और प्रबंधन के अधीन सभी भूमि एवं परिसर विशाखापत्तनम बंदरगाह प्राधिकरण के स्वामित्व, नियंत्रण और प्रबंधन के अधीन हैं।	पांच वर्षों की अवधि के लिए या जब तक वे सेवा में रहते हैं,जो भी पहले हो।
2	श्री बी.के. पटनायक, डीटीएम (सी एवं सीएचडी), (टी.एम. विभाग) वीपीए	-वही-	पांच वर्षों की अवधि के लिए या जब तक वे सेवा में रहते हैं,जो भी पहले हो।
3	श्री बी. सांबा मूर्ति, वरिष्ठ पीओ, (सामान्य प्रशासन विभाग) वीपीए	-वही-	पांच वर्षों की अवधि के लिए या जब तक वे सेवा में रहते हैं,जो भी पहले हो।
4	श्री एस. श्रीनिवास राव, उप-सीएओ (वित्त विभाग) वीपीए	-वही-	पांच वर्षों की अवधि के लिए या जब तक वे सेवा में रहते हैं,जो भी पहले हो।

2. उक्त नियुक्तियाँ इस अधिसूचना के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगी।

[फा. सं. ए- -43015/32/2023-पी.ई.-II]

संदीप गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

(PHRD Division)

New Delhi, the 24th June, 2026

G.S.R. 117.—In exercise of the powers conferred by section-3 of the Public Premises (Eviction of unauthorized occupants) Act, 1971 (40 of 1971) the Central government hereby appoints the officers mentioned in column (1) of table below, being officers of the Visakhapatnam Port Authority equivalent to the rank of the gazette officer of the Government of India to be Estate Officer for the purposes of the said act and the said officer shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on the Estate Officer by or under the said Act, within the local limits of his jurisdiction in respect of the Public Premises specified in the corresponding entry in column (2) of the said table.

Sl. No.	Name and designation of Officers appointed as Estate Officers	Categories of Public Premises	Tenure
1	Smt. D.Pushpa Mani, Dy. Estate Manager, (C.E. Dept.) VPA	All lands & premises belonging to and under the ownership, control and Management of the Visakhapatnam Port Authority.	For a period of five years or till he remains in service, whichever is earlier.
2	Sri. B.K.Pattanayak, DTM (C & CHD), (T.M Dept.) VPA	-do-	For a period of five years or till he remains in service, whichever is earlier.
3	Sri. B.Samba Murthy, Sr.PO, (General Administration Dept.) VPA	-do-	For a period of five years or till he remains in service, whichever is earlier.
4	Sri. S.Srinivasa Rao, Dy.CAO (Finance Dept.) VPA	-do-	For a period of five years or till he remains in service, whichever is earlier.

2. The said appointments shall come into effect from the date of publication of this Notification in the Official Gazette.

[F. No. A-43015/32/2023-PE-II]

SANDEEP GUPTA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA
Digitally signed by KUMER CHAND MEENA
Date: 2026.07.13 16:04:00 +05'30'